हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 17 अंक : 7 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 जुलाई, 2026

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

दो साल में एससी-एसटी अत्याचार प्रकरण में 28 प्रतिशत कमी आई: भजनलाल

मुख्यमंत्री ने सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक में कठोरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए

जयपुर, 21 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को सुरक्षित एवं सम्मानपूर्वक जीवन जीने का वातावरण उपलब्ध कराने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।

राज्य सरकार द्वारा गत ढाई वर्षों में उठाए गए कदमों के कारण अनुसूचित जाति और जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार के प्रकरणों में उल्लेखनीय कमी आई है। वर्ष 2023 की तुलना में 2025 में ऐसे प्रकरणों में लगभग 28 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक में कहा कि एससी-एसटी वर्ग के विरुद्ध अपराध करने वालों पर कठोरता से कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों के 60 दिवस की निर्धारित अवधि में निस्तारण में भी पहले की तुलना में काफी तेजी आई है। उन्होंने कहा कि राज्य के 45 पुलिस जिलों में एससी-एसटी सेल स्थापित किए जा चुके है।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि दर्ज प्रकरणों की सतत निगरानी की जाए तथा एक वर्ष से अधिक समय से

लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सहायता संबंधी लंबित प्रकरणों की थाना एवं जिला स्तर पर नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाए, जिससे पीड़ितों को समय पर राहत मिल सके।

बैठक में उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत सहित, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग, सामाजिक न्याय एवं संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए कि दर्ज प्रकरणों की सतत निगरानी की जाए तथा एक वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।

महिला आरक्षण को बिना शर्त लागू करे केंद्र सरकार: समिति

मंडी के सेरी चांदनी में धरने पर बैठीं महिलाएं

मानसून सत्र में ही कानून लागू करने की उठी मांग

मंडी। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की जिला इकाई ने मंडी के सेरी चानणी में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण विधेयक को बिना शर्त तुरंत लागू करने की मांग को लेकर धरना- प्रदर्शन किया।

जिला अध्यक्ष डॉ. वीना वैद्य ने कहा कि 1996 में पहली बार संसद में पेश हुआ यह विधेयक 2023 में पारित होने के बावजूद जनगणना और परिसीमन की शर्त के कारण अब तक लागू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोडना महिलाओं के साथ अन्याय है और इसे मौजूदा मानसून सत्र में ही बिना शर्त लागू किया जाना चाहिए।

मंडी के सेरी चांदनी में धरने पर बैठी जिला अध्यक्ष डॉ. वीना वैद्य ने कहा कि महिला आरक्षण मानसून सत्र में ही लाकर कानून बनाया जाकर लागू किया जाये।

उन्होंने बताया कि 2019 में संसद में महिलाओं की भागीदारी 14 प्रतिशत थी, जो 2024 में घटकर 13 प्रतिशत रह गई। हिमाचल विधानसभा में भी केवल तीन महिलाएं ही निर्वाचित हुई हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या लगातार बढ रही है। उन्होंने कहा कि कानून लागू होने से आगामी विधानसभा चुनावों में महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा।

धरने के बाद उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को 33 प्रतिशत महिला आरक्षण विधेयक को बिना किसी शर्त लागू करने की मांग संबंधी ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन में गायत्री, गिरिजा, देवकी लता, कमला, भावना, विनय, रेहाना, रीता, संतोष और ललिता सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहीं।

महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किए जाने की मांग

महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किए जाने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।

अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के आह्वान पर जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन ठाकुर के नेतृत्व में 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जंतर.मंतर पर आयोजित राष्ट्रीय रैली में भाग लेगा। रवाना होने से पहले सुमन ठाकुर ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को जल्द लागू किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि आरक्षण व्यवस्था में अन्य पिछडा वर्ग ओबीसी की महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना आवश्यक है, ताकि सभी वर्गों की महिलाओं की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के आह्वान पर देशभर से महिला कार्यकर्ता इस रैली में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंच रही हैं। जिला महिला कांग्रेस के अनुसार ऊना से 20 महिला कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग ले रही हैं।

संगठन का कहना है कि रैली के माध्यम से महिला आरक्षण विधेयक को शीघ्र लागू करने और उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने की मांग उठाई जाएगी।

अध्यक्ष की कलम से

''हम संतुष्ट है''

साथियों,

मीडिया गुमसुम है। अखबार चुप हैं। देश की अदालते उदासीन हैं ये सब बातें थोडा चौकाती हैं। भारत की सबसे बड़ी मानवीय समस्या अर्थात जाति आधारित आरक्षण अब कहीं भी चर्चा में नहीं है। वैसे तो ये एक चमत्कार सा लगता है लेकिन हाल ही छपी एक खबर के अनुसार राहुल गांधी ने यू पी के चुनावों में अखिलेश यादव से दो सौ सीटें मांगी है और कहा है कि दलितों का झुकाव काँग्रेस की तरफ बढता जा रहा है।

दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक और बहुत प्रभावी नेता रहे अरुण जेटली ने कभी कहा था कि हम जाति आरक्षण को पूरी तरह प्रभावहीन बना देगे। उनका वो कथन आज धरातल पर सफल दिखाई देता है। लेकिन राहुल गांधी का कथन जाति आरक्षण को नकारता तो नहीं है लेकिन इतना अवश्य संकेत देता है कि जाति आधारित राजनीति का तरीका बदल चुका है। अब एससी-एसटी, ओबीसी, ई डब्ल्यू एस आदि नहीं बल्कि दलित और सवर्ण दो ही जात रह गई हैं।

बदली परिस्थिति को बनाने में अदालतों का उदासीन रवैया भी बहुत कारगर रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने ही मिर्णयो की मनमानी व्याख्या और हाईकोर्ट द्वारा सालों तक आरक्षण के मुकदमे लम्बित रखना भी कारण रहा है। बहरहाल हम खुश और संतुष्ट है कि मात्र पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ खडा हुआ अपना ये समता आन्दोलन जाति आरक्षण को मृतप्राय: बनाने का उपकरण सिद्ध हुआ है। जय समता।

सम्पादकीय

''भेड़िया न्याय अब नहीं''

जात आधारित आरक्षण ने कथित दलितों का कितना भला किया है यह तो शोध का विषय हो सकता है लेकिन भारत देश के मन, प्राण, शरीर को कितना आहत किया है ये तो बार-बार देखने को मिलता है। इस विषय पर बात करें तो पूरा देश भेडिया न्याय की जीती-जागती तस्वीर दिखाई देता है।

संविधान लागू होते समय मात्र एससी-एसटी के लिये जो दस वर्षीय आरक्षण व्यवस्था थी वो अब तक नासूर बन चुकी है। काँग्रेस या भाजपा । इनमें किसी भी पार्टी की सरकार क्यों न रही हो सभी ने नियमों और संविधान में मनमाना संशोधन करके समस्या को सुलझाने के बजाय और अधिक उलझाया ही है। ऊपर से एट्रोसिटी एक्ट और उनमें किये गये विषैले सुधारों ने भारत की आत्मा को मार दिया तो बडी संख्या में प्रतिभाओ का पलायन हुआ।

आज हम और सरकारें गर्व से कहती हैं कि दुनिया भर की केन्द्रीय इकाईयो को भारतीय प्रतिभाएं चला रही हैं। ये शर्म की बात कब गर्व की बात बन गई पता ही नहीं चला। प्राय: 78 साल बीत जाने के बाद भी देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग यदि दलित की श्रेणी में आने पर गर्वित महसूस करते हैं तो यह हमारे देश के लिए कलंक की बात है।

वैसे बडे कलंक की बात ये है कि पढे-लिखे और उच्च पदो पर बैठे लोग इस कलंक को अपनी अगली पीढी में ट्रांसफर करते जा रहे हैं, और, निर्दोष प्रतिभाएं सिर पीट रही है। इसे भारत भूमि का वरदान ही मानना चाहिये कि यहां जाति आरक्षण के नाम पर जो भेडिया न्याय चल रहा है उस पर हमारा संवैधानिक न्याय गूंगा-बहरा बन जाता है। कहने को मनुस्मृति को गालियां दी जाती हैं जबकि उससे बदतर हालत तो आज दिखाई देते हैं। पहले की तरह हाल ही एक नया उदाहरण सामने आया जहाँ एक दलित महिला ने एट्रोसिटी एक्ट को एक उद्योग के रूप में अपनाया और कुछ ही सालों में चालीस लाख रूपयों की मालिक बन गई।

सरकारी कालेजों और यूनिवर्सिटीज में कथित सवर्ण बच्चों का प्रवेश लगभग असंभव है। लाखों ऐसे बच्चे और उनके माता-पिता लोन के बोझ से दबकर अपना जीवन नरक की तरह बिता रहे हैं। तब भी तुर्रा ये है कि दलितों के साथ अन्याय हो रहा है? लेकिन किसी के पास समय नहीं है जो सोच सके कि अब देश की पूरी आबाद एक संवैधानिक जनसंख्या है। लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जायेगा क्योंकि सत्ता और संसद अब राजशाही की तरह व्यवहार करने लगी है। उसे जो पंसद है बस वहीं सुनना और कहना चाहती है। नीति, नियम, नैतिकता, सिद्धांत, आदर्श .....आदि सत्ता के नशे में डूब चुके है। तो क्या समय आ गया है कि भारत में वास्तव में कल्कि अवतार हो जो सबकुछ सही और प्रेरक बना दे!

जय समता ।

- योगेश्वर झाड़सरिया-

लोकहित से ही होगी लोकतंत्र की रक्षा

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सबकी सहमति थी कि राष्ट्र पहले है, जाति, धर्म और क्षेत्र बाद में

गिरीश्वर मिश्र

लोक में ही लोकतंत्र की जडें हैं और यदि जडें सूख गई तो वृक्ष खोखला हो जाएगा। लोकतंत्र के स्वास्थ्य की रक्षा और संवर्धन के लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वालो और उसमें आने की चाह रखने वाले लोक को मन से अंगीकार करें।

महात्मा गांधी ने अपने जीवन के अंतिम दशक वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में बिताए थे। मिट्टी, पत्थर, बांस और खपरैल से बना उनका 'आदि निवास' वर्ष 1936 में स्थानीय संसाधनों से जिस हाल में बना था, आज भी उसी तरह साबुत खडा है। उसी में महात्मा गांधी सपरिवार रहते थे। उसी में एक कोने में संत तुकडो जी और खान अब्दुल गफ्फार खान भी रहते थे। गांधीजी को खुले में रहना पसंद था और वे घर के बाहर आकाश तले सोते थे। सभी एक साथ भोजन करते थे और सुबह-शाम एक साथ बैठ कर प्रार्थना करते थे। कुल मिला कर निजी और सार्वजनिक के बीच कोई साफ-साफ विभाजक रेखा नहीं थी। लोक-जीवन में रम रहे गांधीजी ने खुलेपन को खुशी-खुशी अंगीकार किया था। तभी वे यह कहने का साहस भी जुटा सके थे कि 'मेरा जीवन एक खुली किताब है'। निज और पर (मैं और तुम) का भेद मिटा कर सार्वजनिक जीवन की जो जगह उन्होंने बनाई, वह सबको उपलब्ध थी। उसमें सबका प्रवेश सम्भव था। उसे वह समय की रूढियों से मुक्त करने की भी कोशिष करते रहे। निजता को खोते हुए व्यापक लोक को अपनाने में उन्होंने देखा कि इसके लिए त्यागपूर्वक जीवन जीना ही एक मात्र उपाय है।

सार्वजनिक जीवन की यह व्यापक धारणा लेकर महात्मा गांधी परतंत्र भारत को स्वतंत्र कराने की मुहिम छेड़ रहे थे। उनके मन में विपन्न, अशिक्षित और सामाजिक-राजनीतिक चेतना के अभाव वाले भारतीय समाज को सशक्त बनाने की चिंता थी, न कि सिर्फ अंग्रेजों से राजनीतिक हस्तांतरण की। इसलिए एक व्यापक रचनात्मक कार्यक्रम के साथ वे आगे बढ रहे थे और वर्धा को उन्होंने एक प्रयोगशाला के रूप में ढालने का काम किया। इस काम में सेठ जमनालाल बजाज ने हर तरह से सहायता की थी और काका कालेलकर, जे.सी. कुमारप्पा, मनोहर दीवान, मीरा बेन और अनेक सहयोगी साथ खडे थे। महात्मा गांधी की लोक-व्याप्ति के साथ वर्धा का सेवा ग्राम आश्रम धीरे-धीरे विस्तार पाता गया। खादी, नई तालीम, चरखा, प्राकृतिक चिकित्सा, राष्ट्र भाषा के संवर्धन, मद्य निषेध और अस्पृष्यता निवारण जैसे काम जमीनी धरातल पर शुरू हुए। इन सबके साथ अंग्रेजी शासन से मुक्ति और भारत की स्वतंत्रता पाने का राजनीतिक उद्यम भी चल रहा था। यहीं पर वर्ष 1942 में छिडे 'अंग्रेजों भारत छोडो' का विचार कांग्रेस की कार्य समिति ने स्वीकार किया था। तब देश के नेताओं ने जिस सार्वजनिक जीवन का वरण किया था, उसका सामान्य लोक जीवन के साथ गहरा तादात्म्य था। व्यक्ति की सत्ता लोक के साथ अभिन्न रूप से जुड कर चल रही थी। लोक के प्रति अखंड समर्पण का ही फल था कि क्रांतिकारी वीरों ने अपनी जानें कुर्बान की। अनेक स्वतंत्रता-सेनानी जेल गए और यातना सही। उस वक्त देशभक्ति का जज्बा जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा आदि की छोटी पहचान की इकाइयों पर भारी पड रहा था और सब तरह के भेदभाव को परे धकेलते हुए सबको एक कर रहा था। एक ही बात पर सबकी सहमति थी कि देश और राष्ट्र पहले है और बाकी बाद में ।

लम्बी लडाई के बाद जो स्वतंत्रता 1947 में मिली, वह अखंड भारत के सपनों के अनुकूल नहीं थी। अंग्रेजों की कूटनीति और कुछ लोगों की आकांक्षाओं के चलते देश का विभाजन हुआ और इस क्षेत्र में एक नई भू-राजनीतिक संरचना का निर्माण हुआ, जिसके चलते लगातार उथल-पुथल मची रही। भारत ने लोकतंत्र का मार्ग अपनाया और अपनी विविधताओं, दुविधाओं और पडोसी देशों के साथ की विसंगतियों को सुलझाते-सुलझाते स्वतंत्रता की मशाल जलाए हुए है। अनेक झंझावतों के बीच इस मशाल की लौ प्रदीप्त है और इक्कीसवीं सदी के जटिल हो रहे वैष्विक माहौल में प्रकाश बिखेर रही है। मुश्किल यह है कि राजनीति का स्वभाव भी बदला है।

> आजादी के पचहत्तर सालों की यात्रा के दौरान, जो सबसे बडा परिवर्तन आया वह व्यक्ति और लोक या कहें निजी और सार्वजनिक के स्वरूप और रिश्ते के बीच आया। सार्वजनिक जीवन अपनाने वालो में धन सम्पदा, सुख और खुशहाली का दायरा व्यक्ति की निजी दुनिया तक सिमटने लगा है। निजी के आवरण में ही सार्वजनिक भी समाने लगा और जन सेवा निजी लाभ को विस्तार देने का उपाय बनने लगी।

आजादी के पचहत्तर सालों की यात्रा के दौरान, जो सबसे बडा परिवर्तन आया वह व्यक्ति और लोक या कहें निजी और सार्वजनिक के स्वरूप और रिश्ते के बीच आया। सार्वजनिक जीवन अपनाने वालो में धन सम्पदा, सुख और खुशहाली का दायरा व्यक्ति की निजी दुनिया तक सिमटने लगा है। निजी के आवरण में ही सार्वजनिक भी समाने लगा और जन सेवा निजी लाभ को विस्तार देने का उपाय बनने लगी। आज राजनीतिक उठा-पटक में निजी स्वार्थ की निर्णायक भूमिका अनेक रूपों में उछाल मार रही है। निजी उत्कर्ष की अदम्य लालसा हिलोरें ले रही है और निजी के व्यामोह के बीच लोकहित की बात बिसरती जा रही है, परन्तु लोक को आलोकित किये बिना अकेले निजी स्वार्थ की यात्रा न असीम है, न निरापद। आए दिन नैतिक मूल्यों के साथ जिस तरह से खिलवाड हो रहा है, उससे सबका भ्रम टूट रहा है। लोक में ही लोकतंत्र की जडें हैं और यदि जडें सूख गई तो वृक्ष खोखला हो जाएगा। लोकतंत्र के स्वास्थ्य की रक्षा और संवर्धन के लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वालो और उसमें आने की चाह रखने वाले लोक को मन से अंगीकार करें।

-राजस्थान पत्रिका से साभार

पौराणिक कथन : 'दिवाकर'

सूर्यदेव। इन्होंने धरती के दस विभाग करके इक्ष्वाकु व अन्य राजाओं को दिये। यहीं से सूर्यवंश शुरू हुआ।

एससी-एसटी हरकारे,
उन्हें पोषती सरकारें।
भूल-भाल अब नैतिकता को -
चलो जोर का धक्का मारे।।

कविता

''अपना ही घट फोड़ रहे''

धर्म धुरंधर
गोपी चंदर
आंख बंद कर
दौड़ रहे हैं
कुल्हड़ में गुड़
फोड़ रहे हैं ।
सीख बड़ी दें
गलियारों को
महिमा मंडन
हत्यारे को
चोर उचक्के
बंधु भतीजे
उल्टे सीधे
सभी नतीजे
मन के सपने
तोड़ रहे हैं।।
काले जोगी
पीले भोगी
सारे मिलकर
दिखते रोगी
जात धर्म की
धत्त कर्म की
भूले पीड़ा
मनुज मर्म की
घर गरिमा का
छोड़ रहे हैं।।
सभी सिकंदर
मन से बंदर
हर चौराहे
खड़े कलंदर
कौन कहे अब
जाग मछंदर
अंध तिमिर पर
शंका मतकर
बाहर चोला
जाती अंदर
हाथ हथौड़ा
खूब संभाले
अपना ही घट
फोड़ रहे हैं।।

– रंजन सिंह रावत–

आरक्षण के दंश की कुछ महत्वपूर्ण बातें

सरकार को संविधान के दोनों मौलिक सिद्धांतों पर साथ-साथ ध्यान रखना चाहिए। प्रशासन की कुशलता और सभी के लिए अवसर की समानता। न्यायमूर्ति ए.पी.सैन ने कहा कि ''संविधान की प्रस्तावना में देश के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय एवं समानता की बात की गई है।'' सामाजिक न्याय एवं समानता का लक्ष्य प्राप्त करते समय सरकार को सभी के हितों को समान रूप से ध्यान में रखना चाहिए। सरकार द्वारा किए गए अनुपयुक्त और पक्षपातपूर्ण प्रावधान से सामाजिक ढांचा धीरे-धीरे कमजोर हो जाएगा।

अनुच्छेद 16(4) में प्रयुक्त शब्दों की ओर संकेत किया है-यदि संविधान निर्माताओं का उद्देश्य किसी समूह या वर्ग के लिए आरक्षण देश की कुल जनसंख्या में उसके अनुपात के अनुसार करने का होता तो वे स्वयं ये शब्द जोड़ सकते हैं-'के अनुपात में'।

एक ओर तो सरकारें लगातार घोषणा करती रहती हैं कि वे आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्ग के वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचना सुनिश्चित कराएंगी, जबकि सरकारों द्वारा कार्यपालिका और विधायिका : दोनों ही स्तरों पर की जाने वाली काररवाई - जिसमें मलाईदार परत को बाहर नहीं किया जाता बल्कि पिछड़े वर्ग की सूची में और भी जातियों को शामिल कर लिया जाता है - से आरक्षण की व्यवस्था में गम्भीर समस्या उत्पन्न हो रही है।'

पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने जाति-आधारित आरक्षण पर आशंका प्रकट करते हुए लिखा था कि ''इससे एक ओर तो जातिप्रथा को बढ़ावा मिलेगा और दूसरी ओर, हिंदू धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों के लोगों को आरक्षण के प्रावधान का लाभ नहीं मिल सकेगा; जबकि उनमें भी ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है, जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं।''

संविधान के मूल प्रारूप के अनुच्छेद 10 - जो आरक्षण से सम्बन्धित था - के प्रावधान पर संविधान सभा में अपने भाषण में डॉ. अंबेडकर ने स्वयं आगाह किया था कि समानता का सिद्धांत या कानून कहीं इतना व्यापक न हो जाए कि वह पूरे सिद्धांत या कानून को ही निगल जाए।

''आरक्षण की सीमा निर्धारित करना मूल रूप से सरकार के निर्णय-क्षेत्र में आता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि सरकार के निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वस्तुत: आरक्षण का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों, जन जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाना ही होना चाहिए।

'' हालांकि उन्होंने सचेत भी किया कि पदोन्नति में आनुपातिक आरक्षण लागू करते समय सरकार को यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि इससे प्रशासन की कुशलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ''यह बात भुलाई नहीं जा सकती कि प्रशासन की कुशलता और सक्षमता सर्वोपरि है, उसकी उपेक्षा करके किसी तरह का आरक्षण का भी प्रावधान नहीं किया जा सकता।

''अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को दिये जाने वाले समानता के मौलिक अधिकार का अपवाद है; और किसी मौलिक अधिकार के अपवाद को इतने व्यापक अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए कि उससे स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होने लगे।''

यह एक मूलभूत विषय है, जिस पर हमें विचार करना चाहिए। फिलहाल आइए देखें, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में और बार-बार निम्नलिखित निर्देश दिए हैं - मलाईदार परत की पहचान की जानी चाहिए।

पहचान की यह प्रक्रिया और परिणामस्वरूप उसका बहिष्कार-सब कुछ यथार्थ होना चाहिए।

अशोक कुमार ठाकुर बनाम बिहार राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आय एवं अन्य कारकों का निरर्थकता की हद तक 'उच्च स्तर' प्रस्तुत करके उस शर्त का अपवंचन करने का प्रयास करने के लिए बिहार तथा उत्तर प्रदेश सरकारों को जमकर फटकार लगाते हुए कहा था कि ''इन सरकारों ने मंडल मामले में बनाए गए कानून का पूरा-पूरा उल्लंघन किया है।''

इस मलाईदार परत की पहचान का कार्य उद्देश्यमूलक होना चाहिए। - इसमें विभिन्न मामलों में अग्रणी वर्ग की पहचान करने का प्रयास किया जाना चाहिए। - इस प्रकार तैयार की गई सूची की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। एक बार पिछड़ा तो हमेशा पिछड़ा-यह सिद्धांत स्वीकार्य नहीं है।

जंतर-मंतर पर जड़ सत्ता का नया दलित विमर्श

दिल्ली का जंतर-मंतर जन विरोध स्थल दलित विमर्श का नया केन्द्र बनकर उभरा है। इन दिनों यहाँ पर पिछले 35 दिनों से केन्द्रीय शिक्षा मंत्री का स्तीफा लेने के लिये विरोध प्रदर्शन चल रहा है।

विरोध करने वाले खुद को सीजेपी अर्थात कॉकोच जनता पार्टी का सदस्य बताते हैं और इनका सरगना है अमेरिका से आया युवक अभिजीत दीपके। जो भारत में महाराष्ट्र का रहने वाला है और किसी समय आम आदमी पार्टी का आई टी सैल प्रभारी था।

सी जे पी का गठन सी जे आई कि अपनी अदालत में की गई वह टिप्पणी थी जिसमें उन्होने आर.टी.आई लगाने वाले युवाओं को कॉक्रोच कहकर बुलाया था। सीजेआई का इशारा दलित या सवर्ण की तरफनहीं था

लेकिन संयोग से दीपके ने सीजेपी का गठन किया और वह खुद को जयभीम घोषित करता है। इससे यह संकेत मिला कि भारत का पढा-लिखा दलित युवा वर्ग अब अपनी बात कहने के लिये समर्थ और समझदार हो गया है।।

20 मार्च मार्च को सी जे पी के आव्हान पर युवाओ ने जंतर मंतर से संसद भवन तक मार्च की जब घोषणा की तो सरकार और प्रशासन को अनुमान नहीं था कि न केवल दिल्ली बल्कि यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से बड़ी संख्या में युवक पहुंचेंगे।

लेकिन वे पहुंचे और पूरे सिस्टम को असहाय बनाते हुए संसद परिसर की दीवार तक पहुंच जायेंगे। लेकिन जैसे ही ऐसा हुआ। सुरक्षा बलों ने तुरंत प्रधानमंत्री को चलती संसद में से उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया।

भारत में यह पहली बार हुआ और शायद अमेरिका से आये दीपके ने अमेरिका में ट्रंप की हार के बाद हुए वहाँ की संसद पर जनता के ताण्डव को याद दिला दिया। इसके बाद जो होना था वही हुआ। लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले खूब चले। यहाँ तक कि इस सबसे आहत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री निवास को घेरने तक पहुंच गये ।

शिक्षामंत्री धमेन्द्र प्रधान का स्तीफा होता है या नहीं थे ये अलग बात है लेकिन साधारणत: सभी लोग ये मानते/बोलते दिखाई देते है कि नीट परीक्षा पेपर लीक के बाद लगभग दो दर्जन युवा लडके और लड़कियों ने आत्महत्या की है। और जंतर मंतर का ये प्रदर्शन मरने वाले प्रत्येक युवक के माता-पिता को एक-एक करोड रुपये दिए जाने की मांग की गई है।

लेकिन जो बात समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि इतने बड़े आन्दोलन को सिर्फ इसलिये दलितों का बता दिया जाये कि वे सभी या अधिकांश युवा जय भीम श्रेणी के माने जाते हैं।

यह केवल अनुमान नहीं है बल्कि ठोस तथ्य दिखाई देता है कि सत्ता, आर एस एस या सम्पूर्ण विपक्ष अवश्य ही कथित सवर्गों को धता बताकर दलितों की प्रतिष्ठा का भूमिगत काम चल रहा है। ये तथ्य भी यही इशारा करते प्रतीत होते हैं। देखिये।

अभिजीत दीपके जब अमेरिका से आया तो ऐसा माहोल बनाया गया कि जैस किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है। दीपके ने भी भारत में कदम रखते ही एक्स पर जो पहला संदेश भेजा उसके अंत में लिखा-. जयभीम ।

यह बात समझदार लोगों को ऐसी लगी जैसे जड़ सत्ता को नव दलित विमर्श खड़ा करने का इशारा दिया गया है।। जो बाद के घटनाक्रम से सिद्ध होता चला गया।

दीपके को वी आई पी की तरह संसद मार्ग थाने लाया गया जहाँ मात्र आधे घंटे में उन्हें जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति दे दी गई। जबकि नये यू जी जी नियमों के विरुद्ध करणी सेना सहित दूसरे संगठनों का यह अनुमति नहीं दी गई थी बल्कि उनके कतिपय नेताओं को हाऊस अरस्ट किया गया था। और दीपके को अनुमति देने के लिये सात दिन पहले अनुमति आवेदन देने के नियम को भुला दिया गया ?

इसके बाद एक महिने से अधिक समय तक जंतर-मंतर का धरना चलता रहा। किती ने कुछ नहीं कहा? सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री तक के खिलाफ धरना स्थल से बहुत कुछ बोला गया लेकिन किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया गया। जबकि सीबीएससी पेपर में गड़बडी की बात करने पर एक किशोर छात्र के विरुद्ध एफ.आई.आर. तक दर्ज कर ली गई थी।

तलाश करने पर और भी ऐसे तथ्य सामने आ जायेंगे जो जड़ सत्ता की तरफ से सवर्णों के विरुद्ध नये विमर्श को स्थापित करते हैं।

-समता डेस्क

27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने और 13 प्रतिशत आरक्षण पर लगे होल्ड को हटाने की मांग

भोपाल में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा घेराव, रंगमहल चौराहे पर पुलिस ने रोका, वाटर कैनन चलाई

भोपाल। 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने और 13 प्रतिशत आरक्षण पर लगे होल्ड को हटाने की मांग को लेकर ओबीसी महासभा ने विधानसभा घेराव का प्रयास किया। पुलिस ने रंगमहल चौराहे पर प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन चलाकर कई लोगों को हिरासत में लिया।

ओबीसी महासभा ने मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने और 13 प्रतिशत आरक्षण पर लगे होल्ड को हटाने की मांग को लेकर विधानसभा घेराव का प्रयास किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रंगमहल चौराहे पर बैरिकेडिंग कर रोक दिया। बैरिकेड्स पार करने की कोशिश पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर बसों में बैठाकर मौके से हटाया।

रंगमहल चौराहे पर रोका मार्च

ओबीसी महासभा के बैनर तले बड़ी संख्या में कार्यकर्ता विधानसभा की ओर बढे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रंगमहल चौराहे पर रोक दिया। प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स पर चढ गए और नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन चलाकर उन्हें तितर.बितर किया।

27: आरक्षण और 13: होल्ड हटाने की मांग

महासभा के प्रदेश प्रभारी जीतू लोधी, विश्वजीत रतौनिया और राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी वर्षों से नौकरी का इंतजार करते-करते ओवरएज हो रहे हैं। उनका कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाएं 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के आधार पर होती हैं, लेकिन नियुक्तियां केवल 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार दी जा रही हैं। उन्होंने मांग की कि 13 प्रतिशत पदों पर लगा होल्ड तत्काल हटाकर 27 प्रतिशत आरक्षण का पूरा लाभ दिया जाए। धर्मेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 2019 में तत्कालीन सरकार ने 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया था, लेकिन बाद में इस पर रोक लग गई। अब न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद सरकार 13 प्रतिशत होल्ड नहीं हटा रही है, जिससे हजारों योग्य अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कई युवा ओवरएज हो चुके हैं और सरकार पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय कर रही है।

8 साल से चल रहा आंदोलन

महासभा का कहना है कि वह पिछले आठ वर्षों से इस मांग को लेकर आंदोलन कर रही है। कई बार मुख्यमंत्री का घेराव, धरना-प्रदर्शन और सभाएं की गईं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। संगठन ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

कांग्रेस नेताओं का मिला समर्थन

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने वीडियो जारी कर ओबीसी आरक्षण को लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया और कहां की कांग्रेस सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार समाज को जातियों में बांटना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार को ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ तत्काल देना चाहिए।

शिक्षक, पुलिस और वन विभाग की भर्तियां प्रभावित

आरक्षण विवाद का असर प्रदेश की कई महत्वपूर्ण भर्तियों पर पड़ा है। इनमें स्कूल शिक्षक वर्ग-1, वर्ग-2 और वर्ग-3, पुलिस आरक्षक, वनरक्षक, क्षेत्ररक्षक और जेल प्रहरी जैसी भर्तियां शामिल हैं। संगठन का दावा है कि कई अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं होने से उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। कई युवाओं ने सरकारी नौकरी की उम्मीद में निजी रोजगार भी छोड़ दिए हैं।

करीब 10 हजार पद होल्ड पर होने का दावा

ओबीसी महासभा का दावा है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में करीब 10 हजार पद वर्तमान में होल्ड पर हैं। संगठन का कहना है कि वर्ष 2019 से चले आ रहे आरक्षण विवाद के कारण बड़ी संख्या में युवा प्रभावित हो रहे हैं। महासभा ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

जबलपुर हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई तेज

27 प्रतिशत व्ठब् आरक्षण से जुड़े मामलों पर जबलपुर हाईकोर्ट में भी सुनवाई तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाईकोर्ट में गठित विशेष बेंच में मामले की नियमित सुनवाई चल रही है। जानकारी के मुताबिक, 15 जुलाई 2026 से विशेष बेंच में सुनवाई शुरू हुई है। कोर्ट ने मामलों में अनावश्यक स्थगन से बचने और सुनवाई को कानूनी एवं संवैधानिक पहलुओं तक सीमित रखने के निर्देश दिए हैं।

** सहयोग की अपील **

श्रीमान,

यूजीसी जैसे काले कानून के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे श्री महिपाल सिंह मकराना, इस विषय पर दिनांक 11 जुलाई को देशनोक से जयपुर तक सवर्ण न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं। सरकार सुप्रीम कोर्ट से स्टे के बाद इस विषय को टालते रहने के मूड में है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी समतावादियों से मेरी प्रार्थना है कि कृपया उपरोक्त न्याय यात्रा में तन मन धन से सक्रिय सहयोग करने का अनुग्रह करें।

पाराशर नारायण शर्मा, अध्यक्ष, समता आन्दोलन की इस अपील के साथ ही प्रदेश महामंत्री एस एस राठौड़ और विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिराज ने देशनोख पहुंच कर यात्रा शुभारम्भ समारोह में भाग लिया। बाद में बीकानेर समता आंदोलन के संभागीय अध्यक्ष बनवारी लाल शर्मा ने इस पदयात्रा में भागीदारी की। बीच के शहरों में समता आंदोलन के सदस्यों ने पदयात्रियों का स्वागत किया।

इसी विषय पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में कमेटी बनाकर आगामी 3 अगस्त को महिपाल सिंह मकराना की 600 कि मी यात्रा के समापन पर जयपुर में बड़े समारोह की तैयारी शुरु कर दिया है। सुनील जैन ने पार्कों में पमफ्लट्स भी बाँटने शुरु कर दिए हैं।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in